COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(97)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक- / / अपील
अपील - 7165-PBR-16

1. सुशील कुमार पिता कन्हैयालाल बम
2. विजया पति सुशील कुमार बम निवासी 54, मोती बंगला देवास म.प्र.

पार्थी अभिभाषक श्री एन. एल. भावसार
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 13/7/16
13-7-16
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

------------ अपीलाण्ट

विरूद्ध

म.प्र. शासन
द्वारा जिला पंजीयक एंव कलेक्टर स्टाम्प्स
देवास म.प्र. ------ रिस्पाण्डेट

अपील अन्तर्गत धारा 47 (क) 5) मुद्रांक अधिनियम

कलेक्टर स्टाम्प्स एंव जिला पंजीयक देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक-11/बी.-105/2009-2010 में पारित आदेश दिनांक 18-08-2015 से अपीलाण्ट द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि का बाजार मूल्य लिखतम में अंकित मूल्य से अधिक मानने तथा कमी मुद्रांक शुल्क रू. 1,65,043/- जमा कराने का आदेश पारित करने से उसके विरूद्ध सम्भागायुक्त उज्जैन सम्भाग उज्जैन को की गई प्रथम अपील वैधानिक प्रावधान एंव माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. के निर्णय एंव माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के न्याय निर्णय 2005 रा.नि. 348 कुसुम जैन विरूद्ध म.प्र. राज्य के विरूद्ध निरस्त करनेसे असन्तुष्ट होनेसे यह द्वितीय अपील सादर प्रस्तुत है :-

72
13/7/16

माननीय महोदय,

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील निम्न कारणों एंव अन्य कारणों के आधार पर सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. (अ) अपीलाण्ट का पूरा नाम पिता का नाम व्यवसाय एंव पता:- सुशील कुमार पिता कन्हैयालालजी बम 2. विजया पति सुशील कुमार बम निवासी 54, मोती बंगला देवास म.प्र.

(ब) दस्तावेज के निष्पादन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम पिता का नाम व्यवसाय एंव पता :-

1. मधुसूदन पिता डॉक्टर चन्द्रशेखर [illegible] 2. यशवन्त पिता मधुसूदन 3. [illegible]न्तराव पिता त्र्यम्बकराव पाण्डेय

निरन्तर पृष्ठ-2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 7165–पीबीआर/2016 अपील

ान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस्त
04-04-19	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया । यह अपील आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्र0क0 64/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–6–2016 के विरूद्ध मुद्रॉक अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक देवास ने प्रकरण कमांक 11 बी–105/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 18–8–2015 से अपीलांट के हित में हुये विक्रय पत्र दिनांक 16–7–2007 पर मुद्रॉक शुल्क 1,65,043/– एंव कमी पंजीयन शुल्क 14,124/– इस प्रकार कुल रू. 1,79,167/– वसूल करना निर्धारित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने अपील 188 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत होना मानकर निरस्त कर दी। आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है। 3/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्को के कम में कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक देवास के प्रकरण कमांक 11 बी–105/2009–10 के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक देवास ने आर्डरशीट दिनांक 3–6–15 में अंकित किया है कि प्रकरण प्रस्तुत। अनेकोंवार सूचना पत्र देने के बाबजूद कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण एक पक्षीय कार्यवाही हेतु आदेशित। प्रकरण आदेशार्थ 18–8–15 तथा इसी दिन आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक देवास ने अंतिम आदेश पारित किया है जो एकपक्षीय है जिसके	

विरूद्ध आयुक्त, उज्जैन संभाग के समक्ष 188 दिवस उपरांत प्रस्तुत अपील को समयावाह्य मानकर निरस्त किया गया है।

1. अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना – विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया , तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। मामले में विधि का सारवान सिद्धांत अंतर्ग्रस्त हो तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित)
2. प्रेमनारायण राठौर बनाम म0प्र0 राज्य 2006 रा0नि0 351 में दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 – धारा –5 – आक्षेपित आदेश की सूचना समय से नहीं दी गई – सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अपील फाइल की गई– उदारतापूर्वक माफी प्रदान की जाना चाहिये – आवेदन मंजूर किया गया। A.I.R. 1987 S.C. 1353 तथा 1997 रा.नि. 345 (उच्च न्यायालय) से अनुसरित –

स्पष्ट है कि आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन ने आदेश दिनांक 27–6–2016 पारित करते समय उक्त पर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन का आदेश दिनांक 27–6–2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्र0क0 64/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–6–2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर मामले का निराकरण गुणदोष के आधार किया जावे।

सदस्य